



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1023

मद/FOR ITEM:4 तरह के विटोन-1316 से बने गार्स्केट्स
GASKETS MADE OUT OF VITON - 1316 - 4 TYPES

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स एच.ए.एल, कोरापुट प्रभाग द्वारा अभिकल्पित, मेसर्स सुजन इंडस्ट्रीज़, मुंबई द्वारा विकसित तथा उत्पादित "4 तरह के विटोन से बने स्पेशल प्रोफाइल गार्स्केट्स-1316", पार्ट सं. 1) के-5130ए-301-2-आरएसएफ- 59ए, 2) के-5130ए-154-2-आरएसएफ-59ए, 3) के-5130ए-235-2-आरएसएफ-59ए, 4) के-5130ए-238-2-आरएसएफ-59ए, मरम्मत के समय आरडी33 इंजन के आरएसएफ-59ए यूनिट के उपयोग के लिए, आरेखन सं.(पार्ट सं. ऊपर उल्लिखित है) के अनुसार उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(कोरापुट), सूनाबेदा के समन्वय से नियंत्रक विनिर्देश/टेस्ट शेड्यूल सं.टीएस/400-1999 दिनांक 30.08.1999 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न "वर्गरिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेन्ट" में विवरित विवरण/परीक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

This is to certify that the " Gaskets made out of VITON - 1316 - 4 Types " bearing the Part No.s 1) K-5130A-301-2-RSF-59A, 2) K-5130A-154-2-RSF-59A, 3) K-5130A-235-2-RSF-59A & 4) K-5130A-238-2-RSF-59A, designed by M/s.HAL, Koraput Division, developed & manufactured by M/s Sujan Industries, Mumbai are hereby approved for production as per drawings (part Nos. referred above) for use in RSF-59A Unit of RD33 Engine during Overhaul. These have been tested as per the governing specification/test schedule No. TS/400-1999 dt. 30-08-1999 in co-ordination with RCMA(Koraput), Sunabeda. These have met the requirements as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix "A".

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये ।

The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है ।

This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

4. यह वर्ग अनुमोदन **31 दिसम्बर 2008** तक वैध है और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(कोरापुट), सूनाबेदा से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2008 and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Koraput), Sunabeda for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी ।

Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification, (CEMILAC) Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1023

दिनांक/Date : १ दिसम्बर 2003

फेक्स सं/Fax No : 080-5230856

J.K. Sharma
11/2/03
(जे.के.शर्मा/J.K.SHARMA)
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)

22/1/03